YELLOW BULLETIN OF OPERATING SAFETY
EAST CENTRAL RAILWAY
(April -2023, ISSUE NO. - 58)

Contains Irregularities/Deficiencies detected during inspections: -

1.	Foot Plate : - (A) During foot plate inspection of train no 14673 on 13.04.2023, No staff seen near the rolling in/ rolling out location in the MFP end at HJP. (B) No T/P Board was found for 70 kmph SR between BNR-SAI sections. (C) Calling ON Board placement in the section (SEE-MFP) needs a review because it is placed around 10 to 12 Meters from Home Signal against the provision of 65 mtrs. It may be a reason of SPAD.
2.	LC Gates: - (A) Speed Breaker Board on East side was not available at LC 55/Spl (HJP). (B) TVU of LC 55/Spl (HJP) Yard was not mentioned in GWR. (C) Sliding Boom is tested on regular basis as per Private no. book, but entry in this regard was not available in the register at LC 55/Spl (HJP) Yard. (D) Railway Act Board was not available at Gate no. 126 C (MHL Yard). (E) Sliding boom locking arrangement is defective at LC 01/C/E between Ara - Garahani. (F) Speed Breaker on both sides was non standard at LC No 02/B1/E at SEE.
3.	Brake Van: - (A) Stretcher and ELB was not available in Brake Van during inspection of train no 13206 on 13.04.2023. (B) Working time table of SEE & SPJ Division was not available with Guard/DNR in 13206 on 13.04.2023. (C) ELB was not available in Brake Van of train no 12368 on 25.03.2023.
4.	Station:- (i) GR & SR book Hindi version was available at Tori but only up to 06 correction slips instead of 07 correction slips. (ii) The signature of SM on form T/369(3b) was not in full & seen on several pages at Tori station. (iii) Shunting neck of HRT is not in use for want of OHE connectivity since long. (iv) Master Telephone connection with 5 LCs between Ara - Garahani was out of order since last 08 months at Ara station. (v) At BNF/DHN, classification of staff (staff gradation) was done in March-2022 and not singed /countersigned by any officials. (vi) At Ara station, the date of issue of SWR is 08.07.2022 but date shown in assurance register is 15.03.2022. which is the sinning date of SWRD.
5.	RNCC- (i) Pit No.2 is not connected with additional loop/L.No.1&2 which creates operational constraints. (ii) Line of Shed-II is situated on steep curve due to which placement/withdrawal of rakes badly hampered. As land is available, easing of curve to the extent possible should be examined so that derailment can be avoided and also coupling work will be easier. (iii) Track up liftment required for stabling line no.1 & 2 (HWH end). (iv) There is a placement issue in pit 1, pit 2 & stabling line no.2 while accommodating 22 LHB & Loco in DLI/End.

SPECIAL ATTENTION TO BE PAID: -

1. All Guards of the passenger carrying train shall keep with them a copy (in hard or electronic form). of the working time table along with corrigendum, if any, of the divisions in which they have to work.
2. Ensure the availability of brake van equipments, First Aid Box when a Guard is working in a passenger Carrying train.
3. Update the load stable register and line block and clear register as per rules.
4. When the train is going run through, the Guard should exchange the signal with the station staff and the loco pilot as per GR &SR no. 4.42. In addition, the exchange of signals between the Guards in Block Section should be done in accordance with SR 4.42. (4).
5. When the train is stabled at the station, the Guard and the Loco Pilot shall secure the train in accordance with SR 5.23 and sign in the stabling register.

"Divisions are advised to ensure immediate circulation (in yellow colour printout) to all concerned for initiating action and compliance of the above irregularities/anomalies/Special Attention be sent to this office for onward action."

(B. K. Das)
COM/G/ECR
Dated-10.05.2023.

No.ECR/OPTG. Safety/Yellow Bulletin/87/505

Copy to:-
1. PCOM & PCSO- for kind information please.
2. DRM- DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ - for kind information please.
3. Sr.DOM -DHN, DNR, DDU, SEE & SPJ for information & necessary action please.
4. ZRTI MFP & BHULI for information please.

परिचालन-संरक्षा/पूवमध्यरेल

येलोबुलेटिन/(अप्रैल-2023, अंक सं.-58)

मुख्यालय द्वारा किए गये निरीक्षण के दौरान पाए गए कमियों/अनियमितताओं को समाहित करते हुए.

1	फुटप्लेट निरीक्षण :-(ए) दिनांक 13.04.2023 को गाड़ी संख्या 14673 के फुटप्लेट निरीक्षण के दौरान, हाजीपुर के मुजफ्फरपुर साइड में रोलिंग इन/ रोलिंग आउट स्थान के पास कोई कर्मचारी नहीं देखा गया। (बी) भगवानपुर - सराय खंड में 70 किमी प्रतिघंटा स्थाई गति प्रतिबंध के लिए कोई टी/पी बोर्ड नहीं पाया गया । (सी) सोनपुर - मुजफ्फरपुर खंड में कॉलिंग ऑन बोर्ड के प्लेसमेंट पर समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि यह 65 मीटर के प्रावधान के स्थान पर होम सिग्नल से लगभग 10 से 12 मीटर की दूरी पर लगाया हुआ है। यह SPAD का एक कारण हो सकता है।
2	समपार फाटक का निरीक्षण:- (i) समपार फाटक 55/स्पेशल (हाजीपुर) पर पूर्व दिशा में गति अवरोधक बोर्ड उपलब्ध नहीं था। (ii) समपार फाटक 55/स्पेशल (हाजीपुर) के TVU का GWR में उल्लेख नहीं किया गया था। (iii) निरीक्षण पुस्तिका के अनुसार नियमित आधार पर स्लाइडिंग बूम का परीक्षण किया जाता है, लेकिन इस संबंध में प्रविष्टि एल सी 55/स्पेशल (हाजीपुर) के रजिस्टर में उपलब्ध नहीं था । (v) रेलवे अधिनियम बोर्ड समपार फाटक / 126 सी(MHL) में उपलब्ध नहीं था। (vi) आरा -गरहानी के बीच समपार फाटक 01/सी/ई पर स्लाइडिंग बूम लॉकिंग व्यवस्था दोष पूर्ण है। (vi) दोनों तरफ स्पीडब्रेकर समपार फाटक नंबर 02/बी1/ई सोनपुर में मानक के अनुरूप नहीं पाया गया ।
3	ब्रेकयान निरीक्षण:- (i) दिनांक 13.04.2023 को गाड़ी संख्या 13206 के ब्रेकयान निरीक्षण के दौरान स्ट्रेचर और ईएलबी उपलब्ध नहीं था और गार्ड/दानापुर के पास सोनपुर और समस्तीपुर मण्डल का कार्यकारी समय सारणी भी उपलब्ध नहीं था । (ii) दिनांक 25.03.2023 को गाड़ी संख्या 12368 के ब्रेकयान निरीक्षण के दौरान ब्रेकयान में ईएलबी उपलब्ध नहीं था।
4	स्टेशन:- (i) टोरी स्टेशन सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका (हिंदी) में 07 शुद्धि पर्ची के स्थान पर 06 शुद्धि पर्ची तक ही उपलब्ध था। (ii) टोरी स्टेशन पर फॉर्म टी/369(3बी) के अधिकांश पर स्टेशन मास्टर का पूर्ण हस्ताक्षर नहीं था । (iii) हरनौत (HRT) स्टेशन पर लंबे समय से ओएचई कनेक्टिविटी के अभाव में शंटिंग नेक का उपयोग नहीं होता है। (iv)आरा स्टेशन पर मास्टर टेलीफोन जो आरा - गरहानी खंड के बीच 5 समपार फाटक से जुड़ा हुआ हैं, पिछले 08 महीनों से खराब पाया गया। (v)बंधुआ स्टेशन पर कर्मचारियों का वर्गीकरण (स्टाफ ग्रेडेशन) मार्च-2022 में किया गया था, जिसे किसी भी अधिकारी या निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित/प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था। (vi)आरा स्टेशन पर SWR जारी करने की तारीख 08.07.2022 है लेकिन आश्वासन रजिस्टर में इसे 15.03.2022 दिखाया गया है, जो SWRD के हस्ताक्षर की तिथि है ।
5	राजेन्द्रनगर सवारी डिपो (RNCC) - (i) पिट नंबर 2 अतिरिक्त लूप/ लाइन नंबर 1 और 2 से जुड़ा नहीं है जो परिचालन संबंधी समस्याएं पैदा करता है। (ii) शेड-II की लाइन तीखे मोड़ पर स्थित है जिसके कारण रेकों को प्लेसमेंट / निकासी करने में काफी बाधा उत्पन्न होता हैं । चूंकि जमीन उपलब्ध है, इसलिए वक्र को जितना संभव हो उतना कम करने की जांच की जानी चाहिए ताकि अवपथन से बचा जा सके और साथ ही कपलिंग का काम आसानी हो । (iii) स्टेबलिंग लाइन नंबर 1 और 2 (HWH छोर) का ट्रैक उत्थान आवश्यक हैं । (iv) जब DLI/End में 22 एलएचबी और लोको को समायोजित करते समय पिट 1, पिट 2 और स्टेबलिंग लाइन नंबर 2 में प्लेसमेंट की समस्या होती है।

विशेषरूपसेध्यानदें :

1. यात्री वाहक गाड़ी के सभी गार्ड अपने साथ उन मंडलों के कार्यकारणी समय सारणी शुद्धिपत्र सहित, यदि कोई हो, की एक प्रति (हार्ड अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में) को रखेंगे, जिन खंड में उन्हें कार्य करना है।
2. सुनिश्चित करें कि जब कोई गार्ड यात्री वाहक गाड़ी में कार्य कर रहे हो तो प्राथमिक उपचार पेटी के साथ ब्रेकयान उपकरण उपलब्ध हो।
3. लोड स्टेबल रजिस्टर तथा लाइन ब्लाक एवं क्लियर रजिस्टर को नियमानुसार अद्यतन रखें।
4. जब गाड़ी रन थ्रू जा रही हो तो गार्ड के दवारा स्टेशन कर्मचारियों एवं लोको पायलट के साथ सामान्य एवं सहायक नियम 4.42 के पालन करते हुए सिगनलों का आदान प्रदान करना चाहिए । इसके अलावा स्टेशनों के मध्य गार्डो के बीच सिगनलों का आदान प्रदान सहायक नियम 4.42 (4) के अनुसार करें।

5. जब गाड़ी स्टेशन पर स्टेबल किया जाता है तो गार्ड एवं लोको पायलट, गाड़ी को सहायक नियम 5.23 के अनुसार सुरक्षित कर स्टेबलिंग रजिस्टर में हस्ताक्षर करें।

"मंडलों को सलाह दी जाती है की सभी संबंधित को तत्काल वितरित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें और उपरोक्त अनियमितताओं/विसंगतियों /विशेषध्यान के अनुपालन के संबंध में इस कार्यालय को आगे की कार्यवाही हेतु सूचित करें।"

10.05.23

(बी. के. दास)

मुख्य परिचालन प्रबंधक(सा.)/हाजीपुर

सं. ई.सी.आर. /परि.सं./ येलोबुलेटिन/ 87 /505, दिनांक 10.05.2023

प्रतिलिपि :-

1 प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी को सादर सूचनार्थ।

2. मंडल रेल प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू., सोनपुर एवं समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ।

3. वरि.मं.परि.प्रबंधक धनबाद, दानापुर, डी.डी.यू, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु।

4. क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मुजफ्फरपुर और भूली को सूचनार्थ।